

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक D/2959 /

जबलपुर, दिनांक 04/07/2020

श्री सुशील पटेल आत्मज स्व. श्री रामगोपाल पटेल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की सेवायें रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/282 जबलपुर, दिनांक 28.01.2020 के तारतम्य में उनकी नियुक्ति दिनांक से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976 के नियम 7(2)(एक) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद पर जिलाध्यक्ष जबलपुर द्वारा निर्धारित दर पर निरंतर रखते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है। उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
जबलपुर, दिनांक 04/07/2020

पृष्ठ D/2960 /

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. ज्वाइट रजिस्ट्रार(एम)(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी रायिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक), स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफीसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. उपरिथित लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री सुशील पटेल आत्मज स्व. श्री रामगोपाल पटेल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन साहा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)